न्यायालयः-अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, एस०सी०एस०टी०एक्ट, बागपत।
पीठासीन अधिकारी- शबिस्तॉ आकिल, (उच्चतर न्यायिक सेवा) - UP6283

UPBG010056032025

दाण्डिक निगरानी संख्या -182/2025

1. नवदीप उम्र 37 वर्ष पुत्र बाबू सिंह, निवासी ग्राम सलावतपुर खेड़ी, थाना खेकड़ा, जनपद बागपत। .....निगरानीकर्ता ।

बनाम

1. संजीव त्यागी पुत्र ओमकार त्यागी, निवासी ग्राम बीइंग, थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद।

2. उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, बागपत।

.....विपक्षीगण।

निर्णय

1. यह दाण्डिक निगरानी धारा 438 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत निगरानीकर्ता नवदीप की ओर से परिवाद संख्या 4818/2025, नवदीप बनाम संजीव त्यागी, अन्तर्गत धारा 138 एन०आई० एक्ट, थाना खेकड़ा, जिला बागपत के संबंध में विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बागपत के आदेश दिनांकित 06.08.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। उक्त आदेश के माध्यम से विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागपत द्वारा निगरानीकर्ता का परिवाद अन्तर्गत धारा 226 बी०एन०एस०एस निरस्त किया गया है।

2. मामले के तथ्य संक्षेप में हैं कि प्रार्थी/निगरानीकर्ता द्वारा विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध विद्वान परीक्षण न्यायालय के समक्ष परिवाद पत्र अन्तर्गत धारा 138 एन०आई०एक्ट इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया था कि परिवादी व विपक्षी की काफी वर्षों से जान पहचान रही है आपस में दोस्ताना सम्बन्ध रहे है तथा घर पर आना जाना रहा है। परिवादी विपक्षी पर काफी विश्वास करता था। विपक्षी ने परिवादी से अपने किसी कार्य हेतू दिनांक 05.01.2025 को अंकन 15,00,000/- रूपये बतौर उधार सतेन्द्र धामा पुत्र दयाराम, निवासी ग्राम पाबला बेगमाबाद, जनपद बागपत के सामने लिये थे और परिवादी से वायदा किया था कि वह उक्त धनराशि 02 माह के अन्दर वापिस लौटा देगा। विपक्षी ने परिवादी के रूपयो की अदायगी हेतू दिनांक 06.04.2025 को परिवादी के घर पर सतेन्द्र धामा पुत्र दयाराम, निवासी ग्राम पाबला बेगमाबाद जनपद बागपत के सामने अंकन 5,00,000/- रूपये की धनराशि का एक चैक संख्या 088102 दिनांकित 07.04.2025 खाता संख्या 924010070473254 एक्सिस बैंक लिमिटेड शमशेर यूपी, गाजियाबाद, 201206 का अपने हस्ताक्षर करके परिवादी के नाम से दिया और परिवादी को भरोसा दिलाया कि उसके बैंक खाते में चैक से सम्बन्धित पर्याप्त धनराशि है। परिवादी ने उपरोक्त चैक को अपने बैंक खाता संख्या 00000011771310253 भारतीय स्टेट बैंक शाखा पाबला बेगमाबाद जनपद बागपत में दिनांक 15.04.2025 में जमा किया। उक्त चैक को बैंक द्वारा अपर्याप्त निधि होने की टिप्पणी करते हुऐ रिटर्न मीमो के साथ दिनांक 16.04.2025 को वापिस कर दिया। परिवादी ने अपने रूपयो की मांग हेतु बजरिये अधिवक्ता विपक्षी को पंजीकृत डाक द्वारा विधिक नोटिस दिनांक 03.05.2025 को प्रेषित कराया, जो वापिस लौटकर नहीं आया। इस प्रकार से विपक्षी पर नोटिस की पर्याप्त तामील है, जिस कारण परिवादी को विपक्षी के विरूद्ध वाद कारण उत्पन्न है। विपक्षी का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत आता है, जो कि एक दण्डनीय

Digitally signed by Shabistan Aquil
Date: 2026.03.13 11:45:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अपराध है। अतः परिवाद पंजीकृत कर परिवादी का साक्ष्य लेने के उपरान्त विपक्षी को तलब कर दण्डित किये जाने एवं परिवादी की विपक्षी से चैक में वर्णित धनराशि दिलाये जाने की प्रार्थना की गयी।

3. उक्त परिवाद को विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा पंजीकृत किया गया तथा परिवादी द्वारा बयान अन्तर्गत धारा 223 बी०एन०एस०एस० द्वारा शपथपत्र दाखिल किया गया और पत्रावली बयान अन्तर्गत धारा 225 बी०एन०एस०एस० हेतु नियत की गयी। किन्तु निगरानीकर्ता/परिवादी द्वारा धारा 225 बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत साक्ष्य प्रस्तुत न करने पर विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 06-08-2025 के माध्यम से निगरानीकर्ता/परिवादी का परिवाद अन्तर्गत धारा 226 बी०एन०एस०एस निरस्त किया गया, जिसके विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

4. निगरानी कागज संख्या 3 अ प्रस्तुत करते हुए निगरानी में लिए गए आधार संक्षेप में हैं कि परिवादी की तबीयत खराब चल रही थी जिस कारण से परीक्षण न्यायालय में नियत दिनांक पर हाजिर नही हो सका और ना ही अपने न आने की सूचना अपने अधिवक्ता को दे सका। परिवादी के अधिवक्ता अन्य न्यायालय में व्यस्त थे, परिवादी के अधिवक्ता जब अवर न्यायालय में हाजिर आये तब तक अवर न्यायालय द्वारा परिवादी का परिवाद खारिज किया जा चुका था। मौके पर पत्रावली भी नही मिली थी ना ही पुकार लगाई थी। उक्त परिवाद के खारिज होने होने से परिवादी की अपार हानि है। परिवादी द्वारा जानबूझकर परीक्षण न्यायालय में हाजिर होकर उक्त परिवाद की पैरवी करने में जानबूझकर कोई गलती नही की है तबीयत खराब चलने के कारण ही परीक्षण न्यायालय में परिवादी हाजिर नहीं हो सका। परिवाद योजित करते समय ही परिवादी द्वारा धारा 225 बी एन एस एस (202 सी०आर०पी०सी) के ब्यान मय शपथपत्र दाखिल कर दिये थे पता नही क्यों न्यायालय द्वारा धारा 225 बी०एन०एस०एस के ब्यान पत्रावली में अंकित नहीं किये गये जबकि उपरोक्त ब्यान आज भी मूल पत्रावली में मौजूद है। परिवादी को उक्त परिवाद के खारिज होने की जानकारी परिवादी के अधिवक्ता से दिनांक 06.08.2025 को हुई। परिवादी के अधिवक्ता द्वारा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित सत्यप्रतिलिपि दिनांक 3.08.2025 को प्राप्त की। परीक्षण न्यायालय द्वारा परिवादी की अनुपस्थिति के कारण उक्त परिवाद दिनाक 06.08.2025 को अ० धारा 226 बी एन एस में खारिज कर दिया। विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश को अपास्त किया जाना आवाश्यक है। अतः विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.08.2025 को निरस्त/अपास्त करते हुवे विद्वान परीक्षण न्यायालय को परिवाद मे विधि सम्मत आदेश /परिवाद को पुर्नजीवित करने के आदेश पारित करने की प्रार्थना की गयी है।

5. निगरानीकर्ता द्वारा अपने कथनों के समर्थन में स्वंय का शपथपत्र , स्वंय के आधारकार्ड की छायाप्रति एवं आलोच्य आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी हैं।

6. विपक्षीगण की ओर से कोई आपत्ति दाखिल नहीं की गयी है।

7. पत्रावली का अवलोकन किया गया।

8. निगरानी के स्तर पर निगरानी न्यायालय को विधित यह देखा जाना आवश्यक एवं अपेक्षित है कि विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश पारित करने में कोई अवैधानिकता, अनियमितता तथा तात्विक त्रुटि कारित की गयी अथवा नहीं। माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **(2012) 9 एस०सी०सी० 468 एस०सी० अमित कपूर बनाम रमेशचन्द** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि पुनरीक्षण न्यायालय को परीक्षण न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का तब क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है जब परीक्षण

न्यायालय द्वारा अपने स्थानीय क्षेत्राधिकारिता से बाहर जाकर कोई निष्कर्ष या आदेश पारित किया गया हो अथवा मनमाने ढंग से आदेश पारित किया गया हो। पुनरीक्षण न्यायालय की शक्तियॉ बहुत ही सीमित होती है। पुनरीक्षण न्यायालय को यह क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा दिये गये निष्कर्ष को निरस्त कर अपने विचार उसके स्थान पर प्रतिस्थापित कर दे। पुनरीक्षण न्यायालय को मात्र यह देखना होता है कि पारित आदेश में कोई अवैधानिकता, अनियमितता है अथवा नहीं। पुनरीक्षण न्यायालय मात्र संदेह के आधार पर प्रश्नगत आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

9. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने एवं पत्रावली का परिशीलन करने से यह प्रकट होता है कि निगरानीकर्ता/परिवादी ने विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध विद्वान परीक्षण न्यायालय के समक्ष परिवाद अन्तर्गत धारा 138 एन०आई०एक्ट प्रस्तुत किया गया था, जिसे विद्वान परीक्षण द्वारा द्वारा परिवाद के रूप में पंजीकृत किया गया। परिवादी द्वारा बयान अन्तर्गत धारा 223 बी०एन०एस०एस० द्वारा शपथपत्र दाखिल किया गया और पत्रावली बयान अन्तर्गत धारा 225 बी०एन०एस०एस० हेतु नियत की गयी। किन्तु निगरानीकर्ता/ परिवादी द्वारा धारा 225 बी०एन०एस०एस० के अन्तर्गत साक्ष्य प्रस्तुत न करने पर विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 06-08-2025 के माध्यम से निगरानीकर्ता/ परिवादी का परिवाद अन्तर्गत धारा 226 बी०एन०एस०एस निरस्त किया गया।

10. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 226 के तहत यह प्राविधानित है किः-

यदि, परिवादी के और साक्षियों के शपथ पर किए गए कथन पर (यदि कोई हो), और धारा 225 के अधीन जॉच या अन्वेषण के (यदि कोई हो) परिणाम पर, विचार करने के पश्चात, मजिस्ट्रेट की यह राय है कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह परिवाद को खारिज कर देगा और ऐसे प्रत्येक मामले में वह ऐसा करने के अपने कारणों को संक्षेप में अभिलिखित करेगा।

11. विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांक 06-08-2025 को यह आदेश पारित किया गया है कि परिवादी विगत कई तिथियों से हाजिर नहीं आ रहा है। पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा 225 भा०ना०सु०सं० के स्तर पर लम्बित चल रही है। परन्तु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी परिवादी द्वारा धारा 225 भा०ना०सु०सं० के अन्तर्गत साक्ष्य पूर्ण नहीं कराया गया है और दिनांक 17-06-2025 के उपरान्त से लगातार अनुपस्थित चल रहा है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि परिवादी इस परिवाद को आगे चलाने में रूचि शेष नहीं रह गयी है। अतः समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए परिवादी का धारा 225 भा०ना०सु०सं० का अवसर समाप्त करते हुए तलबी हेतु कोई आधार न होने के कारण परिवाद धारा 226 भा०ना०सु०सं० के अन्तर्गत खारिज किये जाने योग्य है। तदानुसार परिवाद अन्तर्गत धारा 226 भा०ना०सु०सं० खण्डित किया जाता है।

12. धारा 226 बी०एन०एस०एस० धारा 203 दं०प्र०सं० के लगभग समान है। धारा 203 दं०प्र०सं० के संबंध में विधि व्यवस्थाओं का उल्लेख किया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **गुजरात राज्य बनाम अफ़रोज़ मोहम्मद हसनफत्ता 2019 (20) SCC 539** में **राजकुमार अग्रवाल बनाम यूपी राज्य 1999 SCC ऑनलाइन All 1394** के मामले में माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के दिए गए आदेश का उल्लेख किया है कि "9. दं०प्र०सं० की धारा 203 और 204 को सिर्फ़ पढ़ने से पता चलता है कि दं०प्र०सं० की धारा 203 के तहत परिवाद खारिज करने के लिए कारण दर्ज किए जाने चाहिए, इसके विपरीत, दं०प्र०सं० की धारा 204 के तहत ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है।"

13. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा **महमूद उल रहमान बनाम खज़ीर मोहम्मद टुंडा और अन्य (2015) 12 SCC 420** के मामले में यह माना गया है कि दं०प्र०सं० के अनुसार, जब

परिवाद खारिज किया जाता है, तो दं०प्र०सं० की धारा 203 के तहत स्पीकिंग ऑर्डर देना ज़रूरी है और उसमें कारण संक्षेप में बताने की आवश्यकता है।"

15. विद्वान परीक्षण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी का परिवाद दिनांक 26-05-2025 को पंजीकृत किया गया तथा परिवादी द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 223 बी०एन०एस०एस० द्वारा शपथपत्र दाखिल किया गया और पत्रावली में दिनांक 17-06-2025 वास्ते बयान अन्तर्गत धारा 225 बी०एन०एस०एस० नियत की गयी। इसके उपरान्त दिनांक 09-07-2025 व 18-07-2025 की तिथियॉ भी 225 बी०एन०एस०एस के बयान हेतु नियत की गयीं और दिनांक 06-08-2025 को आक्षेपित आदेश पारित करते हुए परिवादी का परिवाद अन्तर्गत धारा 226 भा०ना०सु०सं० खण्डित किया गया है। तीनों तिथियों पर केवल यह अंकित है कि परिवादी गैर हाजिर है, परिवादी को अंतिम अवसर नहीं दिया गया। इस प्रकार विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा मात्र तीन तिथियों का अवसर परिवादी को दिया गया है जोकि पर्याप्त नहीं है। परिवादी को अपना साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने हेतु पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए था।

16. आक्षेपित आदेश के अवलोकन से विदित है कि न तो विद्वान मजिस्ट्रेट ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार किया है और न ही अपने निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए कोई कारण बताए हैं। आक्षेपित आदेश में यह उल्लिखित है कि तलबी हेतु कोई आधार नहीं है। परन्तु इस निष्कर्ष का कोई कारण उल्लिखित नहीं किया। इसके अतिरिक्त परिवादी का परिवाद गुणदोष पर निस्तारित नहीं किया गया है केवल अनुपस्थिति के आधार पर किया गया है जिसके संबंध में निगरानीकर्ता द्वारा कहा गया है कि वह बीमार था। अतः उपरोक्त विवेचना एवं विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश में न्यायालय के मत में विद्वान परीक्षण न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागपत द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 06.08.2025 निरस्त किये जाने योग्य है तथा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

निगरानीकर्ता नवदीप द्वारा प्रस्तुत फौजदारी निगरानी संख्या 182/2025, नवदीप बनाम संजीव त्यागी आदि स्वीकार की जाती हैं। विद्वान परीक्षण न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागपत द्वारा परिवाद संख्या 4818/2025 नवदीप बनाम संजीव त्यागी में पारित आदेश दिनांकित 06.08.2025 अपास्त किया जाता है। विद्वान परीक्षण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह निगरानी में दिये गये निष्कर्ष के प्रकाश में पुनः विधिसम्मत आदेश पारित किया जाना सुनिश्चित करें।

प्रस्तुत निगरानी की पत्रावली दाखिल अभिलेखागार हो।

दिनाँक : 07.03.2026 **(शबिस्तॉ आकिल)**
अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश,
एस०सी०एस०टी०एक्ट, बागपत।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनाँक : 07.03.2026 **(शबिस्तॉ आकिल)**
अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश,
एस०सी०एस०टी०एक्ट, बागपत।